



ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NS/101

DATE: 22 JANUARY 2025

सेवा में:

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन,
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)
पता: जीपीओ कॉम्प्लेक्स, मानव अधिकार भवन, सी ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली, दिल्ली 110023

द्वारा

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)
पता-एफ :49, शुभम अपार्टमेंट, प्लॉट 4, द्वारका सेक्टर 12,
केंद्रीय विद्यालय के सामने, नई दिल्ली 110078

विषय: राजस्थान के झुंझुनू जिले के पचेरी कलां थाना क्षेत्र के मेघपुर-पाथरोली में मानवाधिकार हनन की घटना की उच्च स्तरीय जांच एवं पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।

महोदय,

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी) के संज्ञान में आया है कि दिनांक 18 जनवरी 2025 शाम को राजस्थान के झुंझुनू जिले के पचेरी कलां थाना क्षेत्र के मेघपुर-पाथरोली में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। समाचार पत्रों, चैनलों एवं हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह घटना अत्याचार, जातिगत भेदभाव और अमानवीयता की चरम सीमा को दर्शाती है।

उक्त घटना में, **चिमनलाल मेघवाल** (अनुसूचित जाति) निवासी कोटड़ी, थाना खंडेला, जिला सीकर, जो ईंट भट्टा मालिक **विनोद यादव** के कार्यालय पर पानी पीने गए थे, पर अत्याचार किया गया। भट्टा मालिक और उनके सहयोगियों (मुनीम, बलराज, व अन्य) द्वारा उन्हें पानी के मटके को छूने पर पीटा गया। जब उनके साथी **परमेश्वर शर्मा** उन्हें बचाने पहुंचे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

इसके पश्चात् दोनों को बंधक बनाकर अन्य स्थान ले जाया गया। पीड़ित चिमनलाल की रातभर पिटाई के बाद 20,000/- रुपये फिरौती स्वरूप फोनपे से मंगवाए गए, और 1,00,000/- रुपये की मांग की गई। दुसरे दिन सुबह पीड़ित के भाई द्वारा फिर के 1,00,000/- रुपये लाकर दिए गए और किसी तरह अगले दिन सुबह पीड़ित जान बचाकर भगा एवं थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने में सफल हुए।

महोदय, यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जातिगत भेदभाव की घटनाएं आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए हैं।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने हम में निम्नलिखित मांग करते हैं:

1. **उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करें** – घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित हो।



ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA. THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

2. **पीड़ितों को उचित मुआवजा** – पीड़ितों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति की भरपाई हेतु राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए।
3. **आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु प्रक्रिया तेज करें** – संबंधित न्यायालय को सिफारिश की जाए कि मामले में आरोपियों को बिना जमानत अंडर ट्रायल रखा जाए और दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा दी जाए।
4. **आयोग की निगरानी में कार्रवाई** – यह सुनिश्चित करें कि आयोग की निगरानी में सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष एवं समयबद्ध रूप से पूरी हों।
5. **मामले की निष्पक्ष जाँच** – ऐसी स्थिति में यह संभावना हो सकती है कि पुलिस प्रशासन पर आरोपी पक्ष या किसी राजनीतिक दबाव का प्रभाव हो, जिसके कारण पुलिस निष्पक्ष जाँच नहीं कर पा रही है। अतः मामले की जाँच सम्बंधित न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में करवाने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिए।

यह आवश्यक है कि आयोग इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और समाज में यह संदेश जाए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आशा है कि आप इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करेंगे एवं की गई कार्यवाही से हमें अवगत कराएँगे।

धन्यवाद।

संलग्न -

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी
2. अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी
3. ई-टीवी भारत द्वारा अपने न्यूज चैनल और वेबसाइट पर प्रकाशित न्यूज की कॉपी एवं विडियो
4. पीड़ित चिमनलाल मेघवाल के शरीर पर चोट के निशान सम्बंधित फोटोग्राफ

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)

प्रतिलिप -

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार

सादर,
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

साक्ष्य क्रमांक 1 - दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी



चिड़ावा भास्कर 21-01-2025

2025

सुदामाजी - चिड़ावा - पिलानी

सुदामाजी - बुढाना - सुरजगढ़

मेघपुर के ईट भट्टे पर तारदात : भट्टा मालिक ने लात मारी, जातिसूचक गालियां दी, केस दर्ज

दलित युवक ने पानी के लिए मटके को छुआ तो बेरहमी से पीटा, पूरी रात बनाए रखा बंधक

भास्करन्यूज | पंजी

प्रत्यक्षदर्शी परमेश्वर की जुबानी-दूसरा मटका लाकर देने की बात कही तो मुझे भी पीटा

मेघपुर के ईट-भट्टे पर पैसे के लेनदेन को लेकर ट्रेक्टरों के दो ड्राइवरों को बंधक बनाकर बेरहमी के साथ मारपीट करने और रातभर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पंचेरी कलां थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ट्रेक्टर ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि उसके साथी चालक ने भट्टे पर पानी पीने के लिए मटके को छुआ तब मारपीट की। जब उसने दूसरा मटका लाकर देने की बात कही तो उसे भी पीटा। बाद में दोनों को बंधक बनाकर अज्ञात जगह ले गए और रातभर बंधक बनाकर रखा।

चावल चिमनलाल के साथी चालक परमेश्वर शर्मा ने भास्कर को बताया कि वे 18 जनवरी की रात को



प्रत्यक्षदर्शी परमेश्वर

मेघपुर भट्टे पर ईट लाने गए थे। दोनों ट्रेक्टर ट्रालियों में ईट भरवाने के बाद वे भट्टे की ऑफिस में आ गए। वहां मुनीम से पैसे का हिसाब कर उसे धुपतान कर दिया। इस दौरान साथी चालक चिमन वहां रखे मटके से पानी पीने लगा। तब भट्टा मालिक विनोद यादव ने पीछे से लात मारी। गाली गलती करने लगा। बोला-मटके को हाथ कैसे लगाया? जब मैंने उन्हें कहा कि एक मटके के हाथ लगाया है तो मैं पांच मटके लाकर दे दूंगा। तब मुझे भी पीटा। मुनीम व दो अन्य ने पीटा। रात को 11 बजे गाड़ी में डालकर पंचेरी से आगे एक खेत में ले गए। कोर्टाड़ी में बंधक बनाकर रखा और चिमन के साथ मारपीट की। घरवालों व ट्रेक्टर मालिक को बार बार फोन करवाकर रुपए मांगे। कहा पैसे मंगवाने में जितनी देरी होगी, उतनी रुक बढ़ती जाएगी। इसलिए रात को ही फोन पे के जरिए 20 हजार रुपए मंगवाकर दिए। बकरी लकड़ सुबह देने की बात पर सुबह चार बजे वापस भट्टे पर लए। ट्रेक्टर ट्राली खाली करा दी। सुबह 6 बजे भाई रामेश्वर एक लाख रुपए लेकर पहुंचा और भट्टा मालिक को दिए, तब मुझे छोड़ा। इस दौरान चिमनलाल भी वहां से भाग निकला।



बेहमी से की गई मारपीट के निशान... ट्रेक्टर चालक चिमनलाल मेघवाल की पीठ व पैर पर चोट के निशान।

कोई बकाया नहीं था, सुबह 1 लाख रुपए लाकर दिए तब छोड़ा

मारपीट के दौरान उन्होंने ट्रेक्टर मालिक बलदेव मीणा को फोन कर दोनों चालकों को छोड़ने के बदले एक लाख रुपए मांगे। पैसे ना देने पर ऐसे ही मारपीट करने की धमकी दी। जब ट्रेक्टर मालिक ने मना कर दिया तो चालकों के परिजनों को फोन करने लग गए। चालक परमेश्वर ने अपनी भाई को फोन कर अपनी पीड़ा बताई और छुड़ाने के लिए रुपए मांगे। जैसे जैसे चिमनलाल ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया है।

मामले की जांच बुढाना डीएसपी नोचराम भास्कर कर रहे हैं। इस घटना से जुड़े दो आदिपों भी वाफतल हो रहे हैं। जिसमें चिमन लाल की चौख पुकार के अलावा आरेपियों द्वारा गाली गलती और रुपए देने की आवाजें सुन रही हैं। # मटकी में पानी पीते समय पीटने का आरोप लगाया गया है। कपों पीटा, यह अनुसंधान का विषय है। पीड़ित से पूछताछ नहीं हो पाई है। यह इलाज के लिए गया हुआ था। पूछताछ के बाद ही बात क्लियर होगी। -नोचराम भास्कर, डीएसपी

इधर, इस मामले में ट्रेक्टर मालिक बलदेव मीणा ने बताया कि उसने चालक चिमनलाल मेघवाल और परमेश्वर को दो ट्रेक्टर लेकर ईट लाने के लिए भेजा था। उसका सिर्फ 16 हजार रुपए का हिसाब किताब ही बकती था। जिसके लिए भी लगातार ज्यादा हो रहा था। वहीं वह देने के लिए हामी भर रहा था। लेकिन देर रात को जब ड्राइवर चिमनलाल के फोन से कॉल आया और उसके चौखने फिल्लाने की आवाज सुनी तो मारपीट नहीं करने की बात कही थी। लेकिन सुबह नगद लेकर ही ड्राइवरों को छोड़ा।

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल


HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

साक्ष्य क्रमांक 2 - अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी

<https://www.amarujala.com/rajasthan/jhunjhunu/rajasthan-dalit-was-brutally-beaten-up-for-touching-water-pot-in-jhunjhunu-then-had-to-pay-ransom-of-1-5-lakhs-2025-01-21>



The screenshot shows a news article on the Amarujala website. The article title is "Rajasthan Dalit: झुंझुनूं में पानी का घड़ा छूने पर दलित को बेरहमी से पीटा, फिर देनी पड़ी डेढ़ लाख की फिरोती". The article is dated 21 Jan 2025 10:39 PM IST. The article text is partially visible, mentioning that a Dalit was beaten for touching a water pot and had to pay a ransom of 1.5 lakhs. There is an image of a water pot with a yellow handle and a metal cup on top. The image has the text "मटका छूने पर दलित की बेरहमी से पीटाई" overlaid on it.

बता दें कि पचेरी कलां थाना क्षेत्र में एक ईट-भट्टे पर यह घटना शनिवार को उस समय हुई, जब ट्रैक्टर चालक चिमनलाल मेघवाल वहां ईट लेने गया था। पुलिस के अनुसार, पैसे देने के बाद चिमनलाल घड़े से पानी पीने लगा तो भट्टा मालिक विनोद यादव ने उसे लात मार दी।

बेल्ट से बेरहमी से की पिटाई

पुलिस ने बताया कि इसके बाद विनोद और दो अन्य लोग उसे कार से हरियाणा के रेवाड़ी ले गए और बेल्ट से उसकी पिटाई की। उसे छोड़ने के लिए परिवार से डेढ़ लाख रुपये मांगे। पीड़ित के भाई की ओर से पैसे दिए जाने के बाद उसे छोड़ा गया। पुलिस उप निरीक्षक राजपाल ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित ने इस संबंध में रविवार को मामला दर्ज कराया।

शरीर पर चोट के निशान

राजपाल के मुताबिक, चालक के शरीर पर चोट के निशान थे और उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराया गया। उप निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे घड़े से पानी पीने पर पीटा गया। उन्होंने कहा कि अभी मामले में पूछताछ जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल


HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

साक्ष्य क्रमांक 3 - ई-टीवी भारत द्वारा अपने न्यूज चैनल और वेबसाइट पर प्रकाशित न्यूज की कॉपी एवं विडियो

<https://www.etvbharat.com/hi/!state/a-tractor-driver-was-held-hostage-and-beaten-at-a-brick-kiln-in-jhunjhunu-rajasthan-news-rjs25012005200>



The screenshot shows the ETV Bharat website interface. At the top, there is a navigation bar with the ETV Bharat logo and various menu items like 'राज्य', 'महाकुंभ 2025', 'भारत', 'चैंपियन', 'मनोरंजन', 'लाइफस्टाइल', 'सुखीभवः', 'धर्म', 'बिजनेस खबरें', 'फोटो गैलरी', and 'अधिक'. Below the navigation bar, there is a video player showing a news report. The video title is 'ईट भट्टे पर ट्रैक्टर चालक से बंधक बना मारपीट, पुलिस जांच में जुटी' (ETV BHARAT). The video is from 'थानाधिकारी राज्यपाल यादव (ETV Bharat Jhunjhunu)'. To the right of the video player, there is a sidebar with 'खास खबरें' (Special News) section, featuring three news items: 'JEE MAIN 2025: नए पैटर्न से होगी परीक्षा, इस बार परफेक्ट स्कोर बनाना चुनौती', 'डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ, जे डी वेंस बने उपराष्ट्रपति', and 'क्या शुगर पेशेंट पीनर खा सकते हैं या नहीं? जानें डायबिटीज मरीजों के लिए कितनी मात्रा है सही'.



The screenshot shows the ETV Bharat website interface. At the top, there is a navigation bar with the ETV Bharat logo and various menu items like 'राज्य', 'महाकुंभ 2025', 'भारत', 'चैंपियन', 'मनोरंजन', 'लाइफस्टाइल', 'सुखीभवः', 'धर्म', 'बिजनेस खबरें', 'फोटो गैलरी', and 'अधिक'. Below the navigation bar, there is a news article. The article title is 'ईट भट्टे पर ट्रैक्टर चालक से बंधक बना मारपीट, पुलिस जांच में जुटी - ASSAULT BY TAKING HOSTAGE'. The article is from 'थानाधिकारी राज्यपाल यादव (ETV Bharat Jhunjhunu)'. Below the article, there is a video player showing a news report. The video title is 'ईट भट्टे पर ट्रैक्टर चालक से बंधक बना मारपीट, पुलिस जांच में जुटी - ASSAULT BY TAKING HOSTAGE'. The video is from 'थानाधिकारी राज्यपाल यादव (ETV Bharat Jhunjhunu)'. To the right of the video player, there is a sidebar with 'खास खबरें' (Special News) section, featuring three news items: 'JEE MAIN 2025: नए पैटर्न से होगी परीक्षा, इस बार परफेक्ट स्कोर बनाना चुनौती', 'डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ, जे डी वेंस बने उपराष्ट्रपति', and 'क्या शुगर पेशेंट पीनर खा सकते हैं या नहीं? जानें डायबिटीज मरीजों के लिए कितनी मात्रा है सही'.

हूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA. THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

साक्ष्य क्रमांक 4 - पीड़ित चिमनलाल मेघवाल के शारीर पर चोट के निशान सम्बंधित फोटोग्राफ

